



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122021-231978  
CG-DL-E-18122021-231978

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 703]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 862(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (5वाँ संशोधन) नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय तार नियम, 1951, में -  
(i) नियम 525 के, उप-नियम (2) के, खण्ड (v) में, मद (ण) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
“(त) बीएससीसीएल, बांगलादेश वाया कॉक्स बाजार/कुआकाता से अगरतला को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबीपीएस अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ को किराए पर लेने/बहाल करने के लिए बीएसएनएल को उपर्युक्त बैंडविड्थ को किराए पर लेने/ बहाल करने की वास्तविक तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक यूएसओएफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।”;

(ii) नियम 526 में, “खण्ड (v) के कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के (ढ) और (ण)” के स्थान पर “खण्ड (v) के (ढ), (ण) और (त)” कोष्ठकों, अंकों और शब्दों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 30-170-1/कॉक्स बाजार/ यूएसओएफ]

सु. बालचन्द्र अय्यर, उप महानिदेशक (सम. एवं प्रशा.)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआर 1546, तारीख 06 अक्टूबर, 1951 में प्रकाशित किए गए थे तथा तारीख 27 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 510(अ), द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (Department of Telecommunications)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2021

**G.S.R. 862(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rule, 1951, namely: -

1. (i) These rules may be called the Indian Telegraph (Fifth Amendment) Rules, 2021.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, -

(i) in rule 525, in sub-rule (2), in clause (v), after item(o), the following item shall be inserted, namely: -

“(p) For hiring /restoration of 10Gbps International Bandwidth for internet connectivity to Agartala from BSCCL, Bangladesh via Cox Bazar/ Kuakata, BSNL shall be funded by the USOF for a period of three years from the actual date of hiring/restoration of the aforesaid bandwidth.”;

(ii) in rule 526, for the brackets, letters and words "(n) and (o) of clause (v)", the brackets, letters and words "(n), (o) and (p) of clause(v)" shall be substituted.

[F. No. 30-170-1/2020/Cox Bazar/USOF]

S. BALACHANDRA IYER, Dy. Director General (C&A)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number SR 1546, dated the 6th October, 1951 and last amended vide notification number G.S.R. 510(E), dated the 27th July, 2021.